माननीय श्री गोकल चंद मितल और अमरजीत चौधरी, न्यायमूर्ति.

पी. एल. गोयल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 16386।

30 मई, 1990.

भारत का संविधान, 1950-कला. 14 और 16—पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963—आरएल। 13—संविधान में प्रतिष्ठापित समानता का सिद्धांत—ऐसे सिद्धांत की प्रयोज्यता—नियम मनमाना और अनुचित पाया गया—ऐसे नियम की वैधता—अधिकार क्षेत्र का नियम।

यह माना गया कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा के एक सदस्य को, सुपीरियर न्यायिक सेवा में पदोन्नति पर, उच्च जिम्मेदारी का न्यायिक कार्य करना होता है और कोई भी नियम तर्कसंगतता या समानता के नियम की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, यदि पदोन्नति पर, वेतनमान दिया जाए कम करना होगा. मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 13 की शक्तियों का परीक्षण करना होगा कि क्या वर्तमान संदर्भ में यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के नियम की कसौटी पर खरा उतर सकता है। चूँकि नियमों का नियम 13 याचिकाकर्ता को कम से कम वही वेतनमान प्राप्त करने में बाधक बनता है जो उसे अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में मिल रहा था, हमारी सुविचारित राय है कि

नियमों का नियम 13(1) रद्द किये जाने योग्य है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के नियम का उल्लंघन करता है और हम तदनुसार आदेश देते हैं।

(पैरा 8 एवं 10)

कोरी, भारतीय संस्था के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देशित करते हुए सर्टिओरारी, मैंडामस या कोई अन्य उपयुक्त रिट निर्देश या आदेश जारी किया जाए:

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना:

(ii) यह घोषित किया जाए कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा का सदस्य जब सुपीरियर न्यायिक सेवा में पदोन्नत होता है तो वह रुपये से अधिक वेतनमान का हकदार होता है। 4100-5300 और वेतनमान का अनुदान रु. 3200-4700 या 3900-5000 मनमाना और अनुचित है;

(यूआई) अनुबंध 'पी-5' पर दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट निर्देश या आदेश जारी किया जाए।

(iv) यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता और सेवा के अन्य सदस्य सभी परिणामी लाभों के हकदार हैं जो वर्तमान रिट याचिका के निर्णय पर प्राप्त हो सकते हैं:

(v) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे;

(vi) याचिकाकर्ता को अनुलग्नकों की मूल प्रति दाखिल करने से छूट दी जाए;

(vii) इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

जे.एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, निधि गुप्ता, अधिवक्ता, एस.के. सूद, डी.ए. के साथ। हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुनित जिंदल, अधिवक्ता।

प्रलय

गोकल चंद मितल, जे.

(1) हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के एक सदस्य ने 1 जनवरी, 1986 से उन्हें दिए गए वेतनमान में विसंगति और उसके कारण होने वाली कठिनाई की ओर इशारा किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ से पदोन्नति पर उनका वेतनमान बढ़ गया है।

न्यायिक सेवा से लेकर सुपीरियर न्यायिक सेवा तक की राशि घटाकर रु. 4,100—5,300 से रु. 3,200—4,700. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर इस रिट याचिका में इसे चुनौती दी गई है।

(2) पी. एल. गोयल, हरियाणा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में, चयन ग्रेड में वेतन प्राप्त कर रहे थे। 4;100-5,300 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी। 4 मई, 1988 को, उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 3 मई, 1988 को, अर्थात् अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में, उनका वेतनमान रु. 4,100-5,300 और उनका मूल वेतन रु. 4,475 और अन्य भत्ते आदि मिलाकर उनका कुल वेतन रु. 4,980.

3) 4 मई, 1988 को सुपीरियर न्यायिक सेवा में पदोन्नति पर, उन्हें रुपये के वेतनमान में रखा गया था। 3,200-4,700 और उनका मूल वेतन रुपये तय किया गया था। 3,825. यह सच है कि मूल वेतन में अंतर को उनके 'व्यक्तिगत वेतन' के रूप में संरक्षित किया गया था, लेकिन इसे वार्षिक वेतन

वृद्धि के विरुद्ध या सुपीरियर न्यायिक सेवा में पुष्टि होने तक, जो भी पहले हो, समायोजित किया जाना था। वेतनमान में कमी और वार्षिक वेतन वृद्धि में कमी को रिट याचिका में चुनौती का आधार बनाया गया है।

(4) 1 जनवरी 1986 को किए गए वेतनमान के संशोधन से पहले, अधीनस्थ न्यायिक सेवा का चयन ग्रेड सुपीरियर न्यायिक सेवा के वेतनमान से कम था। वेतनमान में विसंगति और भेदभाव 1 जनवरी 1986 से प्रभावी हुआ, जिस तारीख से अधीनस्थ और वरिष्ठ न्यायिक सेवाओं के वेतनमान को संशोधित किया गया था। सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्य का वेतनमान I.A.S के वरिष्ठ वेतनमान के बराबर किया जा रहा था। पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963 (बाद में इसे नियम कहा जाएगा) के नियम 13 के आधार पर, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है और चूंकि आई.ए.एस. का वरिष्ठ वेतनमान है। हरियाणा राज्य में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के चयन ग्रेड से कम होने के कारण याचिकाकर्ता को निचले समयमान में रखा गया था। I.A.S को वरिष्ठ वेतनमान की अनुमति 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी इस प्रकार है: -

(1) रुपये का ग्रेड. 3,200—4,700.

(2) रुपये का ग्रेड. 3,950—5,000 (9 साल की सेवा के बाद)।

नियमावली का नियम 13(1) इस प्रकार है:-

“13(1) सेवा के सदस्यों का वेतन:

चयन ग्रेड में रखे गए सदस्यों के अलावा सेवा के सदस्यों का वेतनमान वरिष्ठ वेतनमान होगा

आई.ए.एस. जैसा कि समय-समय पर अनुमति दी जाती है और उपरोक्त वेतनमान में उनका वेतन उन नियमों और निर्देशों के अनुसार तय किया जाएगा जो भारतीय प्रशासनिक के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन निर्धारण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं या जारी किए जा सकते हैं। सेवा।"

(5) उपरोक्त नियम एवं आई.ए.एस. के वरिष्ठ वेतनमान में किये गये संशोधन के दृष्टिगत। 1 जनवरी 1986 से प्रभावी, वेतन; याचिकाकर्ता की, सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में पदोन्नति पर, रुपये का ग्रेड तय किया गया था। 3,200—4,700. इसीलिए यह रिट याचिका.

(6) इस मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर विचार किया गया और उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा के चयन ग्रेड की तुलना में सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों के साथ विसंगति और भेदभाव पाया, और राज्य सरकार को सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों का वेतन रुपये ग्रेड में तय करने की सिफारिश की गई। 4,500—5,700. राज्य सरकार ने बिना कोई उचित कारण बताए उच्च न्यायालय की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। रिट याचिका के जवाब में, उच्च

न्यायालय का रुख यह है कि याचिकाकर्ता और हरियाणा में सुपीरियर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों के साथ भेदभाव किया गया है और फिर से सुझाव दिया गया है कि उन्हें रुपये के ग्रेड की अनुमति दी जानी चाहिए। 4,500—5,700.

(7) राज्य सरकार का रुख ऊपर उद्धृत नियम 13 के आधार पर है. हालाँकि, याचिकाकर्ता को हुए भेदभाव का कोई जवाब नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में उन्हें रुपये के वेतनमान में रखा गया था। 4,100-5,300 जबकि पदोन्नति पर उन्हें रुपये के निचले वेतनमान में रखा गया है। 3,200—4,700. इसमें स्पष्ट रूप से विसंगति है और इससे न केवल याचिकाकर्ता को कठिनाई होती है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है और सदस्यों को लाने के लिए वेतनमान में कटौती को रद्द करना होगा। सुपीरियर न्यायिक सेवा कम से कम अधीनस्थ न्यायिक सेवा के चयन ग्रेड के बराबर, निश्चित रूप से, राज्य सरकार को सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों के वेतनमान को फिर से तय करने के लिए आवश्यक निर्देश के साथ ताकि भेदभाव और कठिनाई के कारण उन्हें हटा दिया गया है.

इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि "अधीनस्थ न्यायिक सेवा का एक सदस्य, सुपीरियर न्यायिक सेवा में पदोन्नति पर,

उच्च उत्तरदायित्व का न्यायिक कार्य करना और कोई भी नियम तर्कसंगतता या समानता के नियम की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा} यदि पदोन्नति पर वेतनमान कम करना पड़े। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें नियमों के नियम 13 की शक्ति का परीक्षण करना होगा कि क्या वर्तमान संदर्भ में यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के नियम की कसौटी पर खरा उतर सकता है।

(9) एक व्यक्ति, जो अधीनस्थ में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है, जो याचिकाकर्ता से वरिष्ठ है, लेकिन उसके सेवा रिकॉर्ड के कारण सुपीरियर न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए उसे नजरअंदाज कर दिया गया, उसे रुपये का ग्रेड मिलता रहेगा। समयमान की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए वार्षिक वृद्धि के साथ 4,100-5,300; जबकि याचिकाकर्ता, पदोन्नति पर, हालांकि उसका वेतन जो उसे अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में मिल रहा था, संरक्षित किया गया है, उसे तब तक वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित किया जाएगा जब तक कि निचले समयमान में संरक्षित वेतन समायोजित नहीं हो जाता। प्रथम दृष्टया यह अनुचित है। मनमाना और समानता के नियम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

(10) चूंकि नियमों का नियम 13 याचिकाकर्ता के लिए कम से कम वही वेतनमान प्राप्त करने के रास्ते में आता है जो उसे अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में मिल रहा था, हमारी सुविचारित राय है कि नियम 13 (1)) नियमों को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के

अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के नियम का उल्लंघन करता है और हम तदनुसार आदेश देते हैं।

(11) एक आई.ए.एस. सेवा के 5वें या 6वें वर्ष के अधिकारी को वरिष्ठ वेतनमान की अनुमति दी गई है। 3,200-4,700 और चयन ग्रेड रु. 4,800—5}700; रुपये का सुपर-टाइम स्केल। 5,900—6,700; रुपये के सुपरटाइम स्केल से ऊपर। 7,300—7,600 और निश्चित वेतन रु;। 8,000 1 जनवरी 1986 से प्रभावी। सुपीरियर न्यायिक सेवा के एक सदस्य को 15 साल की सेवा के बाद सामान्य रूप से इस पद पर पदोन्नत किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक पक्ष पर इस न्यायालय ने राज्य सरकार को हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों का वेतन रुपये के पैमाने पर तय करने का सुझाव दिया था। 4,500-5,700, जो हमें उचित प्रतीत होता है।

(12) पंजाब राज्य में, सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य का वेतनमान रुपये तक जाता है। 1 जनवरी 1986 से 5,600 रु.; जबकि हरियाणा राज्य में समान अधिकारी का वेतनमान रुपये तक जाता है। 4,700. सुप्रीम कोर्ट ने बी.एस. यादव के मामले में भी संकेत दिया था कि हरियाणा और पंजाब राज्यों में न्यायिक अधिकारियों के सेवा नियम समान होने चाहिए क्योंकि वे एक ही उच्च न्यायालय के अधीन हैं लेकिन दोनों सरकारें इस पर एक साथ बैठने में सक्षम नहीं हैं। हटाना

मलिक चंद बनाम राम सरूप गुप्ता (आर.एस. मौंगिया, जे.)

दोनों राज्यों के सेवा नियमों में असमानता और विसंगतियाँ। इससे यह भी पता चलता है कि नियमों के नियम 13 (1) के मद्देनजर हरियाणा राज्य में वेतनमान के संबंध में वरिष्ठ न्यायिक सेवा के सदस्यों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है।

(13) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और नियमों के नियम 13 (1) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकारातीत घोषित करते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता और हरियाणा के अन्य समान रूप से स्थित सदस्य सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस को रुपये का वेतनमान मिलता रहेगा। 4,100-5,300 जो उन्हें सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में पदोन्नत होने से ठीक पहले मिल रहे थे। यह कोर्ट ही हटा सकता है. भेदभाव और ऐसा करने का यही एकमात्र रास्ता हमारे लिए खुला है। तदनुसार, हम परमादेश रिट जारी करते हैं कि याचिकाकर्ता को रुपये का वेतनमान मिलता रहेगा। 4 मई, 1988 को की गई पदोन्नति पर भी 4,100-5,300 रुपये और इस निर्णय और आदेश के अनुसार उनके बकाया का भुगतान उन्होंने उचित समय के भीतर किया, इस आदेश की प्राप्ति से चार महीने के भीतर नहीं। इसी प्रकार हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के अन्य सदस्यों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा और उनकी ओर से भी इसी तरह के आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं। याचिकाकर्ता की अपनी लागत होगी जो 1,000.रुपये में निर्धारित की गई है।

14) जहां तक उचित वेतनमान प्रदान करने और उस संबंध में आवश्यक नियम बनाने का संबंध है, हम राज्य सरकार को यथाशीघ्र ऐसा करने का निर्देश देते हैं और राज्य सरकार के लिए रुपये का ग्रेड बनाना उचित होगा। हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्यों के लिए 4,500-5,700 रुपये, जैसा कि इस न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष पर सुझाव दिया है और चूंकि अब न्यायिक पक्ष पर एक निर्देश जारी किया जा रहा है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार सरकार इस मामले पर बिना किसी देरी के अनुकूल विचार करेगी।

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह : अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
जिला न्यायालय, गुरुग्राम, हरियाणा